

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक- वा0क0अधि0पूर्णपीठ/1489 /2022 दिनांक:- दिसम्बर, 16, 2022

:-आदेश:-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन पूर्ण पीठ से सम्बन्धित वादों के निस्तारण हेतु मुख्यालय पर दिनांक 19.01.2023 व 20.01.2023 को पूर्ण पीठ का गठन किया जाता है।

गठित पूर्ण पीठ में मेरे अतिरिक्त श्री कुनाल वेपा, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1 गाजियाबाद तथा श्री विवेक कुमार, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 लखनऊ सम्मिलित होंगे।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारी अवगत होने का कष्ट करें।

(अरविन्द मलिक)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण।

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रष्ठांकन- वा0क0अधि0पूर्णपीठ/1489 /2022 दिनांक:उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1 गाजियाबाद, व पीठ-3 लखनऊ।
2. मुन्सरिम/ पेशकार/वरिष्ठ सहायक(यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
3. आदेश की अनुरक्षण पत्रावली हेतु।

आज्ञा के

(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।